uU;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj ,o inu Hkw&vfHkys[k funs'kd
ihBklhu vf/kdkjh % ch- ,y- dksBkjh] vkj-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 108/2018

vihykUV बनाम **jLiksUMsUV**

vihykUV

1. विराराम पुत्र हंजारी
2. मंगलाराम पुत्र हंजारी
3. मसराराम पुत्र हंजारी
4. पोपटलाल पुत्र हंजारी
5. अमृतलाल पुत्र हंजारी
6. गीता पुत्री हंजारी
7. चन्द्रिका पुत्री हंजारी
8. लासीबाई पत्नी हंजारी
 निवासीगण वडवज तहसील
 रेवदर जिला सिरोही।

jLiksUMsUV

1. श्रीमती कोकू पत्नी भीखा
2. राजाराम पुत्र भीखा
3. दाडमी पुत्री भीखा
4. मैथी पुत्री भीखा
5. जवाहरसिंह पुत्र धुखसिंह निवासीगण
 वडवज तहसील रेवदर जिला सिरोही।
6. तहसीलदार, रेवदर सिरोही।

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 5.6.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेवदर में पारित किया गया।

उपस्थितीः——

1. राजेश शाह, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. गोपाल मेघवाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

fu.kZ;

fnukad% 27 uoEcj]2019

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेवदर के द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 15/2016 अनवान कोकू बनाम राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 5.6.2018 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम वडगज तहसील रेवदर के खसरा संख्या 506 रकबा 16 बीघा भूमि बंजर आई हुई है जिसमें अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी में यानि रूपा पुत्र मूला, रेस्पो0 संख्या

एक के पति भीखा पिसरान धीरा इत्यादि व्यक्तियों की 1/4 व 1/4 हिस्सा की कब्जा काश्त भूमि है। जिसका पूर्व में नियमन हो जाने पर नियमन अनुसार नामा0 संख्या 41 दिनांक 1.5.1972 स्वीकृत हुआ जिसमें रूपा वल्द मूला 1/2, हंजारी, भीखा पिसरान धीरा नाई 1/2 किया गया था। उक्त नियमन का नामा0 दायर करने के उपरान्त उक्त नामा0 अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 में जो इन्द्राज किया गया उसमें रूपा पुत्र मूला 1/2, हंजारी पुत्र भीखा 1/2 का नाम दर्ज किया गया था। उसके उपरान्त अगली जमाबन्दी तैयार करते समय उक्त आराजी में बिना किसी आदेश के हंजारी पुत्र धीरा नाम दर्ज कर दिया। उक्त प्रकार की हुई त्रृटि को सही करवाने हेतु रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत एक आवेदन पेश किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी (रेवदर) के द्वारा प्रार्थीया के उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक 5.6.2018 को यह आदेश पारित किया कि खसरा संख्या 506 रकबा 16 बीघा में कॉलम संख्या 5 में नियमानुसार भीखा पुत्र धीरा नाई या उसकी मृत्यु होने की पुष्टि पर उनके विधिक वारिसान के नाम नामा0 संख्या 41 के अनुरूप रकबा खोलकर नाम दर्ज करें।

3. उपखण्ड अधिकारी, रेवदर के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 5.6.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह प्रथम राजस्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

4. हमने दोनों पक्षों के योग्य अभिभाषकों के द्वारा की गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के योग्य अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस एवं उनके अधिवक्ता को आगामी पेशी दिनांक 5.6.2018 की कोई सूचना नहीं दी और न ही कोई नोटिस तामील करवाये गये। ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

5. अपीलान्टस के योग्य अभिभाषक ने यह कथन किया कि खसरा संख्या 506 रकबा 16 बीघा भूमि में आधे हिस्से की भूमि नियमानुसार हंजारी पुत्र धीरा नाई के नाम आवंटित हुई थी और उक्त आवंटित भूमि का नामा0 अपीलान्टस के पूर्वक हंजारी पुत्र

धीरा के नाम दर्ज किया गया था तब से आज तक निरन्तर कब्जा व काश्त स्व0 हंजारी का रहा और उनके पश्चात हम अपीलान्टस का रहा है एवं राजस्व लगान भी उनके द्वारा प्रतिवर्ष जमा करवाया जा रहा है। ऐसे में उनकी खातेदारी में चल रही भूमि के सम्बन्ध में उनका हक–हिस्सा कम किये जाने बाबत प्रस्तुत किये गये रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था और राजसव रेकर्ड का भी गहनता से जॉच करवाना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का भी हनन किया है।

6. इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर भीखा का कभी कब्जा नहीं रहा था। ऐसे में भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भीखा को सहखातेदार मानते हुए तथा उसका कब्जा माते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा यदि इस प्रकार का आदेश पारित करना था तो उसे अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित करते। अतः उपरोक्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने यह कथन किया कि ग्राम वडगज तहसील रेवदर के खसरा संख्या 506 रकबा 16 बीघा भूमि किस्म बंजर आई हुई है जिसमें अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी में यानि रूपा पुत्र मूला, रेस्पो0 संख्या एक के पति भीखा पिसरान धीरा इत्यादि व्यक्तियों की 1/4 व 1/4 हिस्सा की कब्जा काश्त भूमि है। जिसका पूर्व में नियमन हो जाने पर नियमन अनुसार नामा0 संख्या 41 दिनांक 1.5.1972 स्वीकृत हुआ जिसमें रूपा वल्द मूला 1/2, हंजारी, भीखा पिसरान धीरा नाई 1/2 किया गया था। उक्त नियमन का नामा0 दायर करने के उपरान्त उक्त नामा0 अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 में जो इन्द्राज किया गया उसमें रूपा पुत्र मूला 1/2, हंजारी पुत्र भीखा 1/2 का नाम दर्ज किया गया था। उसके उपरान्त अगली जमाबन्दी तैयार करते समय उक्त आराजी में बिना किसी आदेश के हंजारी पुत्र धीरा नाम दर्ज कर दिया। हंजारी पुत्र धीरा का स्वर्गवास

के बाद उसके हिस्से की आराजी उनके वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का के द्वारा हंजारी, भीखा पिसरान धीरा की जगह जमाबन्दी में गलती से हंजारी पुत्र भीखा दर्ज कर दिया और अगले वर्ष की जमाबन्दी में बिना सक्षम आदेश के हंजारी पुत्री धीरा कर दिया गया।

8. रेस्पोडेन्टस के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि सहखातेदार भीखा के देहान्त उपरान्त उनके वारिसान रेस्पो0 संख्या एक के पति व अन्य रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 के नाम फौतेदगी नामा0 दायर नहीं हो सका एवं अन्य सरकारी लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे। जिस पर रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त प्रकार की राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि के सुधार इस प्रकार से करने हेतु निवेदन किया कि खसरा संख्या 506 रकबा 16 बीघा के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में कॉलम संख्या 4 में वीराराम, मंगलाराम, मसराराम, पोपटलाल, अमृतलाल पिता हंजारी, लासीबाई धर्मपत्नी हंजारी, गीता, चंन्द्रिका पुत्र हजारी के स्थान पर वीराराम, मंगलाराम, मसराराम, पोपटलाल, अमृतलाल पिता हंजारी, लासीबाई धर्मपत्नी हंजारी, गीता, चंन्द्रिका पुत्र हंजारी 1/4, कोकू धर्मपत्नी स्व0 भीखा, राजाराम पुत्र भीखा, दाडमी, मेथी पुत्री भीखा 1/4 अंकन किया जावें।

9. रेस्पोडेन्टस के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ने रेस्पो0 संख्या एक के आवेदन पर राज्य पक्ष से टिप्पणी प्राप्त की गई जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकार की राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि के संशोधन किये जाने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकार का संशोधन किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से नियमों के अनुरूप पारित किया है जिसे यथावत रखा जावें एवं अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जावें।

10. हमने दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया

जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि खसरान भूमि संख्या 506 रकबा 16 बीघा भूमि में पक्षकारान के पूर्वज के पक्ष में हुए कब्जे के नियमन अनुसार रूपा पुत्र मूला 1/2, हंजारी, भीखा पिसरान धीरा नाई 1/2 का नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 7.8.1972 स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत हुए नामान्तरकरण अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं होकर तथा त्रुटिपूर्ण अंकन यानि जमाबन्दी सम्वत 2026–2029 में रूपा पुत्र मूला 1/2 हंजारी पुत्र भीखा 1/2 नाई दर्ज हो गया एवं सहवन से भीखा को पिता दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जावें। जिस पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त प्रकार की हुई राजस्व रेकर्ड त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय को धारा 136 के तहत उक्त प्रकार का अपीलाधीन पारित करने से पूर्व धारा 136 की पालना सम्पादित करनी चाहिये थी जो इस प्रकार से हैः––

> **jkt0 Hk&jktLo vf/kfu;e dh /kkjk 136&** ''भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलतीको नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हैतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हों।''

11. जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को राजस्व लोक अदालत अभियान शिविर, 2018 में निर्णित किया गया हैं जिसमें अपीलान्टस को किसी प्रकार से कोई नोटिस जारी होना नहीं पाया गया और न ही राजस्व शिविर में उक्त पत्रावली की

आदेशिका/अभिलेख पर उनको अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया गया है जो राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने वाले प्रकरणों में धारा 136 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किये जाने वाले/दुरूस्ती किये जाने वाले संशोधन पूर्व राजस्व रेकर्ड में अंकित खातेदार/पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक था। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हमारा विनम्र मत यह है कि भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर ने रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र को एकपक्षीय रूप से पारित किया है जिसे बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्रकरण दोनों पक्षों की सुनवाई किये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

vkn'k

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी, रेवदर) के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.6.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे खसरा संख्या 506 रकबा 16 बीघा में अंकित अपील प्रकरण में संस्थित सभी प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त नये सिरे से पुनः निर्णय पारित करें। इस हेतु उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी, न्यायालय रेवदर के समक्ष दिनांक 23.12.2019 को उपस्थित हो। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj